

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिशनर, वाणिज्य कर, उर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री पिपला पैट्रोकेम एण्ड आर्गेनिक, 426, EWS, आवास विकास कालोनी-प्रथम,
बुलन्दशहर ।
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक 047 / 10, 24.05.2010
प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री पिपला पैट्रोकेम एण्ड आर्गेनिक, 426, EWS, आवास विकास कालोनी-प्रथम, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 24.05.2010 को उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह पूछा गया है कि “ बायो डीजल पर कर की दर क्या होगी । ”

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुनः दिनांक 08.08.2013 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । एक लिखित उर दिनांक 08.02.2011 को दिया, जिसमें कहा गया कि बायो डीजल पर कर की दर क्या होगी, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-IV के क्रमांक-4 (b) पर, निम्न भाँति प्रविष्टि है :-

4(b) 4(a)	Diesel oil as defined in the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939 in cases other than those described in serial no.	M or I	17.23 %
--------------	--	--------	---------

United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939 की धारा-2 (aa) के अन्तर्गत डीजल ऑयल की परिभाषा निम्न है :-

“ diesel oil ” means any inflammable hydrocarbon (including any mixture of hydrocarbons or any liquid containing hydrocarbon) with a flash point above 130F but not exceeding 175F which is ordinarily used for providing reasonable efficient motive-power for any form of motor vehicle or for internal combustion engines;

उक्त परिभाषा में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या बायो डीजल के सन्दर्भ में अलग-अलग व्याख्या नहीं की गयी है । विकीपीडिया में बायो डीजल की निम्न परिभाषा है :-

Biodiesel refers to a vegetable oil-or animal fat-based diesel fuel consisting of long-chain alkyl (methyl, ethyl, or propyl) esters. Biodiesel is typically made by chemically reacting lipids (e.g.,

सर्वश्री पिपला पेट्रोकेम एण्ड आर्गेनिक / प्रा0 पत्र सं0-047 / 10 / धारा-59 / पृष्ठ-2

vegetable oil, animal fat (tallow)) with an alcohol producing fatty acid esters.

Biodiesel is meant to be used in standard diesel engines and is thus distinct from the vegetable and waste oils used to fuel converted diesel engines. Biodiesel can be used alone, or blended with petrodiesel. Biodiesel can also be used as a low carbon alternative to heating oil.

इस प्रकार बायो डीजल भी, डीजल की परिभाषा में आते हैं। डीजल व बायो डीजल का प्रयोग भी समान है। अतः तदनुसार, बायोडीजल पर भी, उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-IV के क्रमांक-4 (b) पर अंकित डीजल ऑयल की भाँति 17.23% की दर से करदेयता होनी चाहिए।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों तथा विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-IV के क्रमांक-4 (b) पर अंकित डीजल ऑयल के सन्दर्भ में दी गयी परिभाषा में कहीं भी petrodiesel होने का उल्लेख नहीं है। डीजल व बायो डीजल का प्रयोग भी समान है। अतः तदनुसार, बायो डीजल पर, उर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-IV के क्रमांक-4 (b) पर अंकित डीजल ऑयल की भाँति, 17.23% की दर से करदेयता होगी।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 29 अगस्त, 2013

ह0 / 29.08.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उर प्रदेश, लखनऊ।